काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

महत्त्वपूर्ण दिशा–निर्देश

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसीः एल.के.जी.
सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, आर.जी.एस.सी., बरकछा, मिर्जापुरः नर्सरी
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसीः कक्षा 1
सत्र 2020–21 में प्रवेश के लिये

तकनीकी सहायता के लिये मोबाइल नंबर– 9836219994

(कोविड–19 महामारी के कारण ऑनलाईन ई–लॉटरी माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया आयोजित किया जायेगा।)

1. कोविड–19 महामारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिये बी.एच.यू. स्कूल बोर्ड ने एल.के.जी.– सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी, नर्सरी– सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, आर.जी.एस.सी., बरकछा, मिर्जापुर एवं कक्षा 1– श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी में चयन के लिये मैनुअल लॉटरी नहीं कराने का फैसला किया है, परिणास्वरूप वर्णित कक्षाओं में प्रवेश ई–लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
2. वर्तमान सत्र से अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL) को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त 15% आरक्षण अनु. जाति व 7.5% अनु. जनजाति के लिये पूर्ववत् रहेगा।
3. उपरोक्त बदलाव के कारण सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल www.bhuonline.in आवेदन पत्र पुनः खोला जा रहा है। साथ ही पहले से आवेदन किये हुए छात्रों को नये निर्देशों के आधार पर अपने आवेदन फार्म को अपडेट करने का अवसर दिया जा रहा है।

महत्त्वपूर्ण निर्देश

I. आयु सीमा

विद्यालय के नाम	कक्षा	01 अप्रैल 2020 को उम्र
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	एल.के.जी.	4 से 5 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01 अप्रैल 2015 से 01 अप्रैल 2016 तक होना चाहिए।
सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, आर.जी.एस.सी., बरकछा, मिर्जापुर	नर्सरी	4 से 5 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01 अप्रैल 2015 से 01 अप्रैल 2016 तक होना चाहिए।
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी	1	5 से 7 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01 अप्रैल 2013 से 01 अप्रैल 2015 तक होना चाहिए।

II. **आरक्षण**

विद्यालय के नाम	कक्षा	कुल सीटो की संख्या	**आरक्षण कोटा**
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	एल.के.जी.	120	बी.एच.यू. के स्थायी कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के बाद शेष सीट निम्नलिखित है। अनुसूचित जातिः 15% अनुसूचित जनजातिः 7.5% दिव्यांगवर्गः 3% अन्य पिछड़ा वर्ग–नान क्रीमी लेयरः 27%
सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, आर.जी. एस.सी., बरकछा, मिर्जापुर	नर्सरी	40	बी.एच.यू. के स्थायी कर्मचारियों के बच्चों के लिएः 50% अनुसूचित जातिः 15% अनुसूचित जनजातिः 7.5% दिव्यांगवर्गः 3% अन्य पिछड़ा वर्ग–नान क्रीमी लेयरः 27%
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी	1	40	बी.एच.यू. के स्थायी कर्मचारियों के बच्चों के लिएः 50% अनुसूचित जातिः 15% अनुसूचित जनजातिः 7.5% दिव्यांगवर्गः 3% अन्य पिछड़ा वर्ग–नान क्रीमी लेयरः 27%

III. **चयन प्रक्रिया**

1. प्रवेश ई–लॉटरी के माध्यम से लिया जायेगा।
2. सर्वप्रथम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी वर्ग के बच्चों का प्रवेश किया जायेगा।
3. तत्पश्चात् निम्न प्राथमिकता क्रम के अनुसार शेष सीटों का आवंटन किया जायेगा।
   i. प्रथम चरण– दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों का 3% सीटों (क्षैतिज) पर ई.–लॉटरी के द्वारा चयन किया जायेगा।
   ii. द्वितीय चरण–
      1) कुल चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटो पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
      2) कुल चयनित अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटो पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
      नोटः अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की आरक्षित रिक्त सीटों को उपलब्ध अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के आपसी बदलाव के आधार पर भरा जा सकता है।
      3) समस्त चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटो पर अन्य पिछड़ा वर्ग– नान क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
   iii. तृतीय चरण– द्वितीय चरण के पश्चात शेष सीटें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवंटित की जायेगीं।
4. प्रत्येक चरण या लॉट की अलग प्रतीक्षा सूची होगी।

IV. ई–लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद या शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थियों के आवेदन में किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि पायी गई तो चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

V. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि पर शुल्क न जमा करने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा प्रतीक्षा सूची से प्रवेश ले लिया जायेगा।

VI. प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। यदि किन्ही कारणों से कुछ सीट रिक्त रह जाती है, तभी क्रमवार उन्हें प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।

VII. **प्रवेश के समय प्रस्तुत करने के लिये दस्तावेज –**

1. जन्म तिथि प्रमाण–पत्र की माता/पिता/अभिभावक द्वारा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड व प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आयु प्रमाण पत्र जिसमे अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, जो नगर निगम द्वारा जारी हो अथवा कुटुम्ब रजिस्टर की सत्यापित छाया प्रति हो को अपलोड तथा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र न होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. प्रवेश के समय सभी आरक्षित आवेदकों को अपनी सबंधित श्रेणियों में प्रमाण पत्र की मूल और सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। जैसा कि फार्म भरने के समय उल्लेख किया गया है। प्रमाण पत्र उपलब्ध न हाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। संदेहास्पद मामलों में प्रमाणपत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यदि मामला गलत/फर्जी पाया जाता है तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

क. यदि अभ्यर्थी के पिता/माता का.हि.वि.वि. के स्थायी कर्मचारी हैं तो एल.टी.सी. सेल द्वारा जारी कर्मचारी प्रमाण पत्र जिसमे अभ्यर्थी का नाम हो, आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें।

यदि अभ्यर्थी के पिता/माता रा.गा.द.प., का.हि.वि.वि., बरकच्छा, मिर्जापुर के स्थायी/संविदा कर्मचारी हैं तो ओ.एस.डी., रा.गा.द.प., का.हि.वि.वि., बरकच्छा, मिर्जापुर द्वारा जारी कर्मचारी प्रमाण पत्र जिसमे अभ्यर्थी का नाम हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। यह विशेष सुविधा केवल रा.गा.द.प., का.हि.वि.वि., बरकच्छा, मिर्जापुर में कार्यरत कर्मियों के लिये कक्षा नर्सरी– सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, आर.जी.एस.सी., बरकछा, मिर्जापुर में प्रवेश के लिये मान्य है।

ख. शरीरिक रुप से अक्षम अभ्यर्थियों (दिव्यांग) (OH) को अपने जिले के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये 'विकलांगता प्रमाण–पत्र' की मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जायेगा। इस वर्ग के अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा जहाँ इनकी दिव्यांगता का सत्यापन/अनुमोदन होने के पश्चात ही इनका प्रवेश सुनिश्चित माना जायेगा।

ग. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को उनके प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय जाति प्रमाण–पत्र मूल प्रति उपलब्ध न होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन

निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जायेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं :–

(अ) जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट / इक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।

(ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।

(द) उस क्षेत्र का प्राखण्डिक अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।

(य) प्रशासक / प्रशासक–सचिव / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)।

टिप्पणी: *यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमी लेयर से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसकी जाति केन्द्र सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना आवश्यक है और प्रमाण पत्र छह महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।*

VIII. आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा:

1. **अनु0जा0 / अनु0 जन0जा0 :** ₹70.00
2. **सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग / का.हि.वि.वि. कर्मचारी वार्ड :** ₹200.00

आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क भुगतान का तरीका

अभ्यर्थी को आवेदन पत्र आनलाइन भरना है, क्योंकि मुद्रित सूचना पुस्तिका व आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय नही किये जायेंगे। आनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्प अपनाना है।

(अ) क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से आनलाइन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पेमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है।

(ब) एचडीएफसी बैंक की किसी शाखा में चालान के द्वारा आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क का नगद भुगतान कर सकते है:

आवेदन पत्र भरने, जमा करने और भुगतान करने के मोड के चयन के पश्चात अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा पोर्टल से चालान का प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट किये गये चालान में अभ्यर्थी का सभी आवश्यक विवरण, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बैंक खाते का विवरण होगा जिसमे प्रवेश परीक्षा

शुल्क जमा किया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार एचडीएफसी बैंक के किसी शाखा में निर्धारित शुल्क जमा करना है।

टिप्पणी:

क) एससी/एसटी अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एससी/एसटी श्रेणी के अर्न्तगत ही विचार किये जायेंगे।

ख) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही दूसरे पाठ्यक्रम हेतु अन्तरित किया जायेगा तथा आगामी वर्षों के लिए आरक्षित भी नहीं होंगे।

नोट : — भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद सत्य माना जायेगा।

सहायता केन्द्र (समय— प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक)

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसीः एल.के.जी.
मोबाइल नम्बरः 6306585844

सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, आर.जी.एस.सी., बरकछा, मिर्जापुरः नर्सरी
मोबाइल नम्बरः 8887161232

श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसीः कक्षा 1
मोबाइल नम्बरः 9565749728